U.S., if the plane merely touches New York airport;

(b) whether Government are also aware that on account of such interference with the freedom of international travel, Air India bookings *via* New York became infructuous and lead to the passenger being stranded abroad; and

(c) if so, the steps taken in this regard?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy): (a) and (b). From the information available with Air-India, Indian passengers like those of any other country barring certain excluded category, can transit U.S.A. without a visa and even stop over upto five days provided they have proper travel documents and hold confirmed onward reservations. In other cases transit visas would be required. No actual case of passengers being stranded on this account has come to the notice of Government but enquiries are being made by Air-India as to the factual position.

(c) Does not arise.

इंडिया बेल्टिंग एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड, सेरामपुर

*559. **श्री किशन पटनायक :**
श्री अ० व० राघवन :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री मधु लिमये :
श्री सोलंकी :
श्री प्रिय गुप्त :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडिया बैल्टिंग एण्ड काटन मिल्स सेरामपुर (पश्चिम बंगाल) से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण कागजों तथा दस्तावेजों में पश्चिम बंगाल के कम्पनियों के रजिस्ट्रार के कार्यालय में हेर-फेर किया गया है और उनके स्थान पर अन्य दस्तावेज रख दिये गये है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में तथा इससे सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : (क) समवाय पंजीयक, पश्चिम बंगाल, के कार्यालय में अनुरक्षित कम्पनी के कुछ विवरणों में हेर-फेर के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) विभाग के सतर्कता अधिकार द्वारा इस बात की जांच की गयी थी परन्तु समवाय पंजीयक के पास फाइल किए गए मूल दस्तावेजों में हेरफेर होने या इनके बदले जाने सम्बन्धी शिकायतों के समर्थन में उसे कोई पृथम दृष्टि प्रमाण नहीं मिला। फिर भी, उसे इतना मालूम हुआ कि गलत प्रक्रिया अपना कर दस्तावेज का दोषपूर्ण और भ्रामक फोटोस्टेट तैयार किया गया और शिकायत कर्ताओं को दिया गया। यह मामला विशेष पुलिस प्रतिष्ठान को भेज दिया गया है कि वे इसकी पूरी जांच करें कि क्या सतर्कता अधिकारी के निष्कर्ष ठीक थे और यह भी मालूम करें कि फोटोस्टेट का तैयार करना और सप्लाई करना बुरे इरादे के कारण से था, और यदि ऐसा है, तो इसका उत्तरदायित्व किस पर है। इसी बीच, संबंधित अधिकारी से यह स्पष्टीकरण भी मांग लिया गया है कि क्यों और कैसे दोषपूर्ण और भ्रामक फोटोस्टेट जारी होने से पूर्व इस द्वारा प्रमाणित किया गया था।

India Belting and Cold Storage (P) Ltd., Serampore

*560. **Shri Solanki:**
Shri Kishen Pattnayak:
Shri A. V. Raghavan: